

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 360]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2014—श्रावण 22, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-44-2014-1-पांच-(35).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कालम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 15 अगस्त 2014 से 31 मार्च 2015 की कालावधि के लिए अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है:—

## अनुसूची

माल का वर्ग (1)	छूट की सीमा (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है (3)
1. भारी माल वाहक यान, जिसका सकल यान भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है.	सम्पूर्ण प्रवेश कर	-
2. सभी प्रकार की इस्पात की छड़ें	अंशतः इस प्रकार कि प्रवेश कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.
3. पुराने और सेकण्ड हैंड मोटर यान	सम्पूर्ण प्रवेश कर	जब कालम (1) में विनिर्दिष्ट माल का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विक्रय हेतु किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए, और यान मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में रजिस्ट्रीकृत हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-44-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-44-2014-1-पांच-(35), दिनांक 13 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th August 2014

No. F.-A-3-44-2014-1-V-(35).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (1) of the Schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (2), for the period from 15 August, 2014 to 31st March, 2015 subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the Schedule:—

SCHEDULE

Class of Goods (1)	Extent of Exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is Granted (3)
1. Heavy goods carriage Vehicle, gross Vehicle weight of which is more than 12000 Kilograms.	Whole of Entry Tax	-
2. All kinds of steel bars	Partly so as to reduce the rate of Entry Tax to 2 percent.	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer from outside the State of Madhya Pradesh.
3. Old and second hand Motor Vehicle	Whole of Entry Tax	When the goods specified in column (1) are entered into a local area by a registered dealer for sale and the Vehicle is registered in the State of Madhya Pradesh under the Motor Vehicles Act, 1988.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-44-2014-1-पांच-(36).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश को प्रदाय किए गए पूरक पोषण आहार को, दिनांक 1 अप्रैल 2010 से उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-44-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-44-2014-1-पांच-(36), दिनांक 13 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th August 2014

No. F. A-3-44-2014-1-V-(36).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the Purak Poshan Aahar supplied by Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited to the Department of Women and Child Development Madhya Pradesh, from payment of Tax under the said Act from 1st April 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-44-2014-1-पांच-(37).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-195-05-1-पांच (15), दिनांक 1 अप्रैल 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कालम (3) में, अंक "2" के स्थान पर, अंक "3" स्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन दिनांक 15 अगस्त 2014 से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ-ए-3-44-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-44-2014-1-पांच-(37), दिनांक 13 अगस्त 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th August 2014

No. F. A-3-44-2014-1-V-(37).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F. A-3-195-05-1-V-(15), dated 1st April 2007, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, in column (3), for the figure "2" the figure "3" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from 15th August 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.